न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 61/2020, (फोरलेन)

उनवान

1 रामेन्द्र सिंह वल्द मनमथसिंह शक्तावत मृतक के बजाय–
(1) सुशीला कंवर पत्नि रामेन्द्रसिंह शक्तावत निवासी ,द्वारिका कॉलोनी, पासंल रोड भीलवाडा।
(2) लोकेन्द्रसिंह पुत्र रामेन्द्रसिंह शक्तावत निवासी ,द्वारिका कॉलोनी, पासंल रोड भीलवाडा।

2. निर्भयसिंह वल्द मनमथसिंह शक्तावत निवासी 18/19 पांसल हाउस महावीर कॉलोनी भीलवाडा।

3. विजयसिंह वल्द मनमथसिंह शक्तावत निवासी पांसल हाउस महावीर कॉलोनी भीलवाडा।

4. प्रतापसिंह वल्द मोहनसिंह शक्तावत मृतक के बजाय–
(1) सुशीला कंवर पत्नि प्रतापसिंह शक्तावत निवासी पांसल तहसील भीलवाडा।
(2) सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह शक्तावत निवासी पांसल तहसील भीलवाडा।
(3) तेजबहादुर सिंह पुत्र प्रतापसिंह शक्तावत निवासी पांसल तहसील भीलवाडा।

5. वैभव प्रतापसिंह वल्द अभिमन्युसिंह शक्तावत निवासी शिकार बाडी उदयपुर (राज.)।

–प्रार्थीगण .

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाडा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
3. समक्ष अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) भीलवाडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–3जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा क्रमांकित/प्रतिकर निर्धारण/179/2018 दिनांक 09.11.2020

प्रकरण संख्या : 64/2020, (फोरलेन)

उनवान

1 मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट भीलवाड़ा प्रा.लि. रजिस्टर्ड कार्यालय पासंल हाउस, कृषि ज्ञान केन्द्र के पास, प्रतापनगर, भीलवाड़ा जरिये अधिकृत प्रतिनिधि दिलीप सिंह पुत्र मोहन सिंह शक्तावत निवासी पांसल, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. समक्ष अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) भीलवाडा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाडा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–3जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेंट (प्रशासन) भीलवाड़ा क्रमांकित/प्रतिकर निर्धारण/179/2018 दिनांक 09.11.2020

उपस्थित –

1 अधिवक्ता प्रार्थी– राजेन्द्र सोलंकी एवं श्री श्यामलाल वैद्य
2. अधिवक्ता अप्रार्थी एनएचएआई– श्री हरिशचन्द्र शर्मा, विनोद कुमार शर्मा
3. राजकीय अधिवक्ता : राजस्थान राज्य एवं सक्षम प्राधिकारी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 13 –08–2025

1– मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा पारित अवार्ड क्रमांकित /प्रतिकर निर्धारण/179/2018 दिनांक 09.11.2020 के विरूद्ध प्रार्थीगण श्री रामेन्द्र सिंह वगैरहा एवं प्रार्थी मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट भीलवाड़ा प्रा.लि. द्वारा क्रमशः दिनांकित 07–12–2020 एवं 04–12–2020 अन्तर्गत धारा 3 जी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर चुनौति दी गई है। जिनके प्रकरण संख्या क्रमांक 61/2020 एवं 64/2020 इस न्यायालय में कायम हुए है। उक्त दोनों प्रकरणों के विवाद बिन्दू समान होने से दोनों प्रकरणों का निर्णय सुविधा के दृष्टिकोण से एक साथ किया जा रहा है।

2– श्री रामेन्द्रसिंह वगैरहा की ओर से यह प्रार्थनापत्रे अन्तर्गत धारा 3–जी–5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौडाकरण के लिये अतिरिक्त भूमि आबादी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 02/09/2017 को प्रकाशन कराया गया। इसके उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 01/03/2018 को प्रकाशित की गई।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

3– ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 1833 किस्म गैर मुमकिन आबादी गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसमें से 0.0300 हेक्टेयर (300) वर्गमीटर) भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में चौडाकरण से प्रभावित होना बताया गया है। इस प्रकार प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त वर्णित अवाप्ताधीन भूमि के क्रम में सक्षम अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाडा के द्वारा प्रतिकर निर्धारण किया जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

4– ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा के वर्तमान आराजी नम्बर 1833 किस्म भूमि आबादी है। जिसमें अवाप्त की जाने वाली भूमि मगरी पर गढ जो मेवाड रियासत के समय से अवस्थित है, जिसका वर्तमान सर्वे नाप अनुसार 03 तीन बीघा 14 चौदह बिस्वा होता है। ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा के वर्तमान आराजी नम्बर 1833 के पुराने (साबिक) आराजी नम्बर 487/1 जो लोक दस्तावेज खसरा पत्रक सेंटलमेंट विभाग द्वारा जारी होने से प्रकट होता है।

5– ग्राम पंचायत पांसल की साबिक आराजी नम्बर 487/1 के नवीन आराजी नम्बर 1833 का वर्तमान राजस्व नक्शा जो सन् 1968–69 में मुर्तिब किया गया है। इस नक्शे, पुराने नक्शे में मार्क से दर्शाये जाने के मुताबिक सेटलमेंट विभाग द्वारा उसकी (गढ़ मय मंगरी) की शक्ल को नहीं दर्शाया गया है। मेवाड रियासत उदयपुर का भारत संघ में विलय सन् 1947 में हुआ था। मेवाड रियासत में ठिकाना पांसल के जागीरदार माल (राजस्व) वसूली का कार्य करने के लिये

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिकृत थे, जो कि वंश परम्परा के अनुसार थे। भारत विलय के समय मेवाड रियासत उदयपुर द्वारा अधिकृत अंतिम जागीरदार स्व. मनमथसिंह पिता तेजसिंह शक्तावत थे, जो वर्ष 1978 तक जीवित रहे। जिनके वारिसान् प्रार्थीगण है। स्व. मनमथसिंह जी शक्तावत की वल्दियत तेजसिंह होना ग्राम मालोला, तहसील भीलवाडा की सेंटलमेंट विभाग द्वारा जारी नवीन जमाबंदी संवत् 2032 पृष्ठ संख्या 180 से प्रमाणित है।

6— भू प्रबंध विभाग (सेंटलमेंट विभाग) द्वारा ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा (राज.) की पर्चा खतौनी में नवीन आराजी नम्बर 1833 रकबा 59—13 उन्साठ बीघा तेरह बिस्वा से दर्शाया गया है। मेवाड रियासत उदयपुर का भारत संघ में विलय हो जाने के बाद सन् 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट 1952 के तहत जागिरी प्रथा समाप्त हो गई और तत्कालीन जागिरदारों से 10,000/— दस हजार से 50,000/— रुपये की वार्षिक माली आय की जागीरें दिनांक 23/08/1954 को राजस्थान सरकार की घोषणा से खालसा (जब्त) जो जागीर एक्ट 1952 की धारा 22 के अनुसार कर ली गई और धारा 23 के तहत वर्णित संपत्तियों पर जागीरदारों का कब्जा माना गया।

7— ग्राम पांसल के भूतपूर्व जागिरदार स्व मनमथसिंह के द्वारा दिनांक 25.08.1954 को जारी किये गये आदेश क्रमांक 751 की पालना में दिनांक 19/02/1955 को जागीर रिज्यूपशन एक्ट की धारा 23 की अनुपालना में निजी संपत्ति आराजियात खुद काश्त व निजी मकानात् वगैरह की लिस्ट किता 02 आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जिसकी प्राप्ति रसीद जागीर सिगह के क्रमांक 5395 दिनांक 22/02/1955 है।

8— ग्राम पासंल तहसील भीलवाडा के पूतपूर्व जागिरदार स्व. मनमथसिंह शक्तावत द्वारा दिनांक 26.05.1955 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें जागिर रिज्यूम्पशन एक्ट की धारा 23 के जैर तहत निजी जायदाद की फेहरिस्त दुबारा पेश करने का वर्णन किया गया और एक प्रति तहसील भीलवाडा को अलग से पेश करने का उल्लेख है। इस आवेदनपत्र के मुख्यपृष्ठ पर डिप्टि कलेक्टर भीलवाडा द्वारा दिनांक 26.05.1955 को भेजी जाने का उल्लेख है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

9— भूतपूर्व जागिरदार स्व. मनमथसिंह के द्वारा तत्कालीन कलेक्टर भीलवाडा के द्वारा जारी आदेश की पालना में आबादी पांसल के उत्तर बाजू कदीमी गढ मय मंगरी ज्यों चार भाई बंटों के चार हिस्सो हिस्सा में बटा हुआ होने का उल्लेख है, जो राजस्व नक्शा मुर्तिबा मेवाड रियासत से गढ मय मंगरी को डेस—डेस से दर्शाया गया है। इससे भूतपूर्व जागिरदार की निजी संपदा होना तत्कालीन कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा माना गया है। जो लोक दस्तोवज है । स्व. मनमथसिंह एवं उनके भाईयों की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण की विरासत में संपदा प्राप्त होना पैतृक संपदा होने से उक्त संपदा की स्वत्वता एवं स्वामित्वता निःसंदेह प्रकट है।

10— प्रार्थीगण एवं भाईयों के द्वारा मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट्स लि. को चार रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से दिनाक 02/02/1999 को भारतीय संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 41 के तहत विक्रय किया जाना निःसंदेह विधि सम्मत् है उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है, उसे किसी भी कॉम्पीटेट लीगल ऑथोरिटी द्वारा चैलेंज करके निरस्त नहीं किया गया है। इसलिये इस प्रकरण पर उक्त दस्तावेज को अकारण ही नजरअंदाज किया जाना अनुचित है।

11— उपरोक्त वर्णित तमाम् दस्तावेज को नजरअंदाज करके सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 09/11/2020 को अवाप्ताधीन भूमि प्रतिकर निर्धारण न करके प्रार्थीगण

आशीष सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अथवा मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट्स लि. को मुआवजा देय न होने से इंकार करके जो आदेश पारित किया गया है। उससे प्रार्थीगण जो हितबद्ध होकर व्यथित होने से यह मध्यस्थम् आवेदन निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत है कि :—

1— दिनांक 09/11/2020 को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश सर्वथा विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थीगण द्वारा गठित प्रा.लि. कंपनी को या वैयक्तिक रूप से जैसी भी स्थिति हो स्वामित्वता एवं स्वत्वता को मानकर प्रतिकर निर्धारण करने हेतु मामले को सक्षम अधिकारी को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत है।

2— सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह असंगत, अनुचित एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3— मेवाड रियासत का भारत संघ में विलय होने के पश्चात् वर्ष जागिर प्रथा समाप्त होने जाने प्रचलित अधिनियम राजस्थान भूमि सुधार एवं जागिर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 जो दिनाक 16 फरवरी 1952 से प्रचलित है, उसकी धारा 23 के तहत जागिरदारों की निजी संपदा में वर्णित निजी संपदा सूची को नजरअंदाज करके उदासीनता एवं निष्क्रियता बरती जाने से आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। निजी संपत्ति के संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा भीलवाडा जिले के रेफरेंश के मामले में दिनांक 21/08/2020 को पारित निर्णय सरकार बनाम विजयसिंह के मामले में भी माना है। किंतु सक्षम अधिकारी ने जागिरदार की निजी संपदा को न मानकर ही क्षेत्राधिकार का अतिलंघन किया है।

4— जागिर प्रथा समाप्त होने के समय कलेक्टर भीलवाडा के आदेश दिनांक 25/08/1954 से घोषित निजी संपदा की घोषणा के आदेश के बावजूद भी उसमें हस्तक्षेप करके क्षेत्राधिकारिता का उल्लंघन किया गया है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

5— कलेक्टर भीलवाडा के द्वारा दिनांक 25/08/1954 के आदेश क्रमांक 751 को 66 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार उक्तादेश की विश्वसनीयतता एवं असलियतता के बारे में उपधारणा न करके सक्षम अधिकारी के द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है।

6— राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 95 (4) में वर्णित प्रावधानों का अध्ययन किये बिना स्थानीय निकाय की संपदा मान करके सक्षम अधिकारी अवैधानिकता की है। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 दिनांक 23/05/1956 को लागू हुआ उक्त अधिनियम की धारा 95 (4) में निम्न प्रकार उपबंध है :—

Noting is this section shall apply to land in the abadi area which is in the lawful occupation of any persen at the commencement of this Aet. उक्तानुसार उक्त अधिनियम के लागू होने के समय जो भूमि जिस व्यक्ति के विधिपूर्ण अधिभोग में थी, वह उसी की मानी जावेगी।

12— ग्राम पांसल में अवस्थित "गढ मय मंगरी" न तो राज्य सरकार द्वारा नजूल संपत्ति घोषित की गई है और न ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा सेट अपार्ट करके भूमि हस्तांतरित नहीं की गई है। इस कारण स्थानीय निकाय की संपदा के लिये आरक्षित भी नहीं है, बल्कि तत्कालीन कलेक्टर भीलवाडा द्वारा भूतपूर्व जागिरदार स्व. मनमथसिंह की निजी संपदा घोषित होना माना गया है। उसमें सक्षम अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का कोई विधि सम्मत अधिकार नहीं है।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

12— राजस्व रेकार्ड में जो वर्तमान आराजी नम्बर 1833 है, उसके साबिक नम्बर 487/1 मकबूजा बिलानाम भूमि में अवस्थित "गढ़ मय मंगरी" को भूतपूर्व जागिरदार की निजी संपत्ति की सूची मुताबिक तत्कालीन राजस्व एजेंसी की लेखन की भूल का खामियाजा भूतपूर्व जागिरदार के वारिसान् को भुगतने को विवश नहीं किया जा सकता है। इस हुई राजस्व रेकार्ड में लेखन की भूल को धारा 67 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार सुधार किया जाना न्यायोचित्त है।

13— अवाप्ताधीन भू संपदा का वास्तविक स्वामी (rial owner) या सही सच्चा स्वामी (True owner) कौन है, उक्त संपदा किसके अधिभोग में है। इसकी जाँच पडताल प्रार्थीगण को वैयक्तिक रुप से सम्मनित न करके सिविल न्यायालय की शक्तियां सक्षम अधिकारी में निहित होते हुये उसका पालन नहीं करके त्रूटी कारित की गई है।

14 सक्षम अधिकारी के द्वारा अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग किये बिना तहसीलदार भीलवाडा, विकास अधिकारी सुवाणा एवं विधि परामर्शी के द्वारा जो राय व्यक्त की गई है, वह विधि सम्मत न होकर कानूनी परिधि से बाहर होने से उसी के अनुरूप निर्णय पारित करने में गंभीर रुप से भूल की गई है। इस कारण सक्षम अधिकारी का निर्णय दोषपूर्ण है। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार दृश्यमान स्वामी (ostensible Owner) संबंधी कानूनी व्यवस्था व उपबंध का परिपालन नहीं किया गया है।

15— राजस्थान पंचायती राज निसम 1996 में नियम पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों को विकास अधिकारी, पचायत के सरपंच एवं सचिव ने कानूनी व्यवस्था को समझने की भूल ही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायतीराज नियम 1996 के अनुसार किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पंचायत द्वारा जारी पट्टे को अविधिमान्य करार नहीं दिया गया है, इसलिये पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख भी इस स्तर पर गैर कानूनी नहीं है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

16— सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी ने पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में विहित शक्तियों का दुरूपयोग किया है, उन्हें अपने ही संकल्प को निरस्त करना अथवा गैर कानूनी या विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया जाना नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उनके द्वारा गलत टिप्पणी को कानूनी जामा पहनाकर सक्षम अधिकारी ने अपनी क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि की है।

17—

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–प्रशासन) भीलवाडा के प्रकरण संख्या 179/18 को निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त अवाप्ताधीन भूमि "गढ मय मंगरी" आराजी नम्बर 1833 में अवस्थित 0.0300 हेक्टेयर (300 वर्ग मीटर) भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु मामले को पुनः रिमांड किया जाने का निवेदन किया गया।

18— बाद जांच प्रकरण दिनांक 14.12.2020 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी एनएचएआई की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया जो रेकार्ड पर है। रिकॉर्ड प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने मौजूदा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौडाकरण के लिये अतिरिक्त भूमि आबादी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए(1)

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 02/09/2017 को प्रकाशन कराया गया। इसके उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 01/03/2018 को प्रकाशित की गई।

19– भू प्रबंध विभाग (सेंटलमेंट विभाग) द्वारा ग्राम पांसल, तहसील भीलवाडा (राज.) की पर्चा खतौनी में नवीन आराजी नम्बर 1833 रकबा 59–13 उन्साठ बीघा तेरह बिस्वा से दर्शाया गया है। मेवाड रियासत उदयपुर का भारत संघ में विलय हो जाने के बाद सन् 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट 1952 के तहत जागिरी प्रथा समाप्त हो गई और तत्कालीन जागिरदारों से 10,000/– दस हजार से 50,000/– रुपये की वार्षिक माली आय की जागीरें दिनांक 23/08/1954 को राजस्थान सरकार की घोषणा से खालसा (जब्त) जो जागीर एक्ट 1952 की धारा 22 के अनुसार कर ली गई और धारा 23 के तहत वर्णित संपत्तियों पर जागीरदारों का कब्जा माना गया।

20– प्रार्थीगण एवं भाईयों के द्वारा मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट्स लि. को चार रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों से दिनाक 02/02/1999 को भारतीय संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 41 के तहत विक्रय किया जाना निःसंदेह विधि सम्मत् है उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है, उसे किसी भी कॉम्पीटेट लीगल ऑथोरिटी द्वारा चैलेंज करके निरस्त नहीं किया गया है। इसलिये इस प्रकरण पर उक्त दस्तावेज को अकारण ही नजरअंदाज किया जाना अनुचित है।

21– अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–प्रशासन) भीलवाडा के प्रकरण संख्या 179/18 को निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त अवाप्ताधीन भूमि "गढ मय मंगरी" आराजी नम्बर 1833 में अवस्थित 0.0300 हेक्टेयर (300 वर्ग मीटर) भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु मामले को पुनः रिमांड किया जाने का निवेदन किया गया।

22– **विपक्षी एनएचएआई ने मौजूदा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि** ---"प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आप न्यायालय में धारा 3–जी (5) के तहत प्रार्थना पत्र केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि किसी पक्षकार को स्वीकार नही हो। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) (5) के सुसंगत (Relevant) प्रावधान निम्नानुसार है-- **3G- Determination of amount payable as compensation- (5)** If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-(2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट हो गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाधरित राशि प्रार्थीगण को स्वीकार नही होने पर ही 3 (जी) (5) के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा अभिवृद्धि की प्रार्थना की जा सकती है। परंतु मौजूदा प्रकरण में प्रार्थीगण के हित में कोई राशि अवधारित ही नहीं की गई है अर्थात कोई भी मुआवजा राशि का अवार्ड प्रार्थीगण के हित में पारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रकरण विधिक प्रावधानों के अनुसार नही होने के कारण प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

23– राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के अनुसार ---

"7- the competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5) as the case may be, shall take into consideration-

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;"

सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ यथास्थिति जो भी हो धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को जो भूमि का मूल्य होता है, वही मूल्य मुआवजे की गणना करते समय अवधारित किया जाता है।

24– 3ए की अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को आराजी नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों के अनुसार भूमि का प्रकार राजस्थान सरकार व भूमि की प्रकृति – गैर मुमकिन आबादी दर्ज थी। इस प्रकार उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही होकर राजस्थान सरकार के नाम थी अर्थात उक्त अवाप्तशुदा भूमि राजस्थान सरकार की सरकारी भूमि है, और सरकारी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए निशुल्क प्रदान की जाती है, जिसके कारण अवाप्तशुदा भूमि की कोई मुआवजा राशि अवधारित नहीं कर केवल आदेश दिनांक 09.11.2020 को पारित किया गया है जो सही एवं उचित है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है, परन्तु फिर भी प्रार्थीगण ने आराजी नं. 1833 के रिकॉर्डेड खातेदार नही होने के बावजूद भी इस न्यायालय के समक्ष उक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने बावत् बेबुनियाद आधारों पर हस्तगत प्रकरण को प्रस्तुत किया है, जो कि पोषणीय नही है। सक्षम न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश करने के पश्चात व तदनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो जाने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के हित में मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा सकता है, फिर यदि प्राचीगण मुआवजा राशि से असंतुष्ट होते है, तो वह इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) के तहत प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु वर्तमान में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

25– **विपक्षी एनएचएआई का कथन है कि** प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि को स्वयं की बताकर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है, वही विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2020 के अनुसार ग्राम पंचायत ने व आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य प्रकरण संख्या 64/2020 उनवान मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि. बनाम सक्षम प्राधिकारी व अन्य ने अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम प्रस्तुत किया है, अर्थात इस प्रकार **एक ही अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी व ग्राम पंचायत एवं मैसर्स पांसल होटल अपना–अपना हक जता रहे है।** अवाप्तशुदा आबादी भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में देखा जाये तो जाहिर होता है कि एक ही अवाप्तशुदा भूमि के मालिकाना हक को लेकर प्रार्थी व ग्राम पंचायत पांसल एवं मैसर्स पांसल होटल के मध्य भूमि विवाद भी है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय में ही हो सकता है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

26– **विपक्षी एनएचएआई का कथन है कि** सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध बेबुनियाद आधारों पर आप न्यायालय के समक्ष एक ओर प्रार्थना पत्र संख्या 64/2020 (मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि. बनाम

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर

सक्षम प्राधिकारी व अन्य) प्रस्तुत किया गया है। जिसमे स्वर्गीय भूतपूर्व जमींदार श्री मनमथ सिंह जी के 9 वारिसान बताये गये है, जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में स्वर्गीय मनमथ सिंह जी के 5 वारिसान है, जो प्रार्थीगण है। उपरोक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि मनमथ सिंह के वर्तमान में कितने वारिसान है। यह भी हो सकता है कि प्रार्थीगण के अतिरिक्त भी मनमथ सिंह के ओर भी वारिसान हो। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भीलवाडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के निर्माण हेतु ग्राम पांसल के खसरा नम्बर 1833 में से भूमि अवाप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को भारत के राजपत्र में जारी की गयी, जिसका जन साधारण को सूचित करने के लिये स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.09.2017 को प्रकाशन करवाया गया। तदोपरान्त समस्त विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुये धारा 3डी के तहत अधिसूचना दिनांक 01.03.2018 को भारत के राजपत्र में जारी की गयी, जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 21.03.2018 को किया गया। उक्त सूचना का प्रकाशन होने के उपरान्त धारा 3डी (2) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निहित हो गयी।

27— उक्त दोनों अधिसूचनाओं में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि का प्रकार—सरकारी व भूमि की प्रकृति गैर—मुमकिन आबादी प्रकाशित हुई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार भीलवाडा से अवाप्तधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन तथा जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1833 की किस्म गैर मुमकिन आबादी, रकबा 54.15 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड होना पाया गया, जिस पर ग्राम पांसल की पुरानी आबादी बसी हुई है, जिसके कारण भूमि के स्वामित्व का निर्धारण ग्राम पंचायत पांसल से करवाया जाना उचित है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

28— **विपक्षी एनएचएआई का यह भी कथन रहा है कि** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तधीन भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में होने के कारण अवाप्तधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में जांच ग्राम पंचायत से कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 17.08.2020 से विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत पांसल के सरपंच व सचिव से रिपोर्ट चाही गयी, जिसके अनुसार मैसर्स पासल होटल एवं रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत, पासंल में गढ का पट्टा बनाये जाने हेतु दिनांक 20.01.2009 को आवेदन किया गया, जिस पर तत्कालीन सरंपच ने धनीय हित जुडा होने के बावजूद भी अपने पद का दुरूपयोंग करते हुये अपने पति व परिवार के अन्य सदस्यों को लाभ पहुंचानें की नियत से ग्राम पंचायत पांसल के द्वारा पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार 2700 वर्गफीट से बाहर जाकर 1,03,840 वर्गफीट का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की अनदेखी करतें हुये बिना कब्जेशुदा निवासरत गढ़ के अतिरिक्त खाली पडी भूमि का भी जारी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पट्टा जारी करने बाबत् आवेदन मैसर्स पासंल होटल एवं रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया, परन्तु मिसल विजेन्द्र सिंह, अभिमन्यू सिंह आदि के नाम से सामान्य नियम 145 के अन्तर्गत दायर की गयी व पट्टा मैसर्स होटल पांसल के नाम से जारी नहीं कर विजेन्द्र सिंह, अभिमन्यू सिंह व अन्य के नाम से सयुक्त रूप से जारी कर दिया गया।

29— सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त जांच कराये जाने के बाद पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थीगण व मैसर्स पासल होटल एवं रिसोर्टस के पक्ष में अवाप्तशुदा भूमि पर कोई विधिक स्वामित्व सिद्ध नहीं होना पाया गया। अवाप्तधीन भूमि गैर काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है व किस्म गैर मुमकिन आबादी है. जो कि स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत पासल के अधीन आती

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) के परिपत्र कमांक प.9(34) राज–6/2019/110 (PS cell) दिनांक 18.06.2020 के अनुसार स्थानीय निकाय की भूमि को ना तो अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता है और ना ही मुआवजा देय है। इस प्रकार राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र के कम में स्थानीय निकाय के स्वामित्व की अवाप्त की गयी भूमि का कोई मुआवजा निर्धारित नही किया गया।

30— सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट, पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट एवं जमाबन्दी, विकास अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर व पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में प्रार्थीगण का कोई स्वामित्व साबित नहीं होने से भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं कर केवल आदेश दिनांक 09.11.2020 को पारित कर दिया गया, जो कि पूर्णतया सही एवं उचित है।

31— **विपक्षी एनएचएआई का यह भी कथन रहा है कि** वर्तमान आराजी नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि गढ़ से दूर खाली पड़ी हुई थी, जिसमें से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई। वर्तमान आराजी नम्बर 1833 व पुराने आराजी नम्बर 487/1 अर्थात् दोनो आराजी नम्बरों की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी भूमि के नाम से दर्ज है, जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में होने से सरकारी भूमि है, जिससे प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है और ना ही अवाप्तशुदा भूमि के सम्बधं में प्रार्थीगण अपना स्वामित्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सिद्ध कर पाये हैं। केवल मात्र जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारों के नाम के आधार पर प्रार्थीगण को ही वारिसान नही माना जा सकता। यह भी हो सकता है कि प्रार्थीगण के अतिरिक्त भी अन्य व्यक्ति भी स्व. मनमथ सिंह के वारिसान हो, परन्तु ऐसे विवादित तथ्यों को विचारण न्यायालय में वाद दायर करके साक्ष्यों से ही साबित किया जा सकता है। इस न्यायालय –मध्यस्थ से प्रार्थीगण इस सम्बंध में कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

32— **विपक्षी एनएचएआई का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थीगण ने** राजस्थान भूमि सुधार एवं जागिर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के संबंध में कथन किये गये है, जो कानूनी होने के कारण जवाब देने की आवश्यकता नही है। उक्त अधिनियम 1962 की धारा 23 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि नही आती है। तत्कालीन कलक्टर द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.1954 में खसरा नम्बर 1833 के संबंध में कोई कथन नही है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हों कि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1833 की भूमि को राज्य सरकार/कलेक्टर द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागिर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23 के अन्तर्गत स्व. मनमथ सिंह जी की मानी गयी हो। इस प्रकार स्पष्ट है, कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा खसरा नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि को जागीरदार की भूमि नही माना गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि के सम्बधं में अपना स्वामित्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सिद्ध कर पाने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रार्थीगण का अवाप्तशुदा भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन केवल मात्र मध्यस्थ न्यायालय को गुमराह कर स्वयं को अनुचित एवं लाभ पहुंचानें की नीयत से दर्ज किये गये है। प्रार्थीगण व भाईयो द्वारा उनके पूर्वजो की सम्पति को मैसर्स पांसल होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि. को चार रजिस्ट्रर्ड विकय पत्रो से दिनांक 02.02.1999 को विक्रय कर दिये जाने के कारण से वर्तमान में अब प्रार्थीगण रामेन्द्रसिंह वगैरहा का कोई हित शेष नही होने से रामेन्द्रसिंह वगैरहा प्रार्थीगण कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

33— **विपक्षी एनएचएआई का यह भी कथन रहा है कि** सक्षम प्राधिकारी को उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3–आई के तहत किसी व्यक्ति को सम्मन करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण, साक्ष्य लेना व किसी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख मंगाना आदि शक्तियां प्राप्त है। अधिनियम 1956 की धारा 3–I के

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

"31- **Competent authority to have certain powers of civil court**--The competent authority shall have] for the purposes of this Act] all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure] 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters] namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) reception of evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record from any court or office;

(d) issuing commission for eÛamination of witnesses."

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में विकास अधिकारी महोदय से रिपोर्ट मांगे जाने पर उपलब्ध करवायी गयी, जिसमें ग्राम पंचायत पांसल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोंग करते हुये अपने पति व परिवारजनों के हित में गढ के अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि का भी पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्मित गढ का ही किया गया था। तत्कालीन सरंपच द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 47 व 157 के विपरित है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई भी पट्टा विधि के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये जारी किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शून्य होता है। इसलिये तत्कालीन सरपंच द्वारा भूमि के संबंध में जारी पट्टा पूर्णतयाः अनुचित एवं अवैध होने के कारण शून्यकरणीय है।

34— **विपक्षी एनएचएआई का यह भी कथन रहा है कि** ग्राम पंचायत समिति सुवाणा की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2020 के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि पर ग्राम पंचायत ने अपना क्लेम प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण की भूमि नहीं होकर ग्राम पंचायत की भूमि है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2020 में खसरा नम्बर 1833 के संबंध में कोई कथन नहीं है और ना ही उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2020 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 पूर्णतया सही एवं उचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का विकास व रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है व ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होती है। आबादी भूमि में खाली पडी हुई भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई कानूनी अधिकार नही होने पर उक्त आबादी भूमि ग्राम पंचायत की भूमि होती है, जिस पर समस्त अधिकार ग्राम पंचायत के होते है। खसरा नम्बर 1833 की अवाप्तशुदा भूमि कभी भी प्रार्थीगणों के अधिभोग में नही थी। उक्त भूमि मौके पर खाली पडी हुई थी, जिसमें से ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गयी है। प्रार्थीगण के पास ऐसा कोई कानूनी ठोस दस्तावेज नही है, जिससे यह साबित होता हो कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण की भूमि है। चूकिं आज भी उक्त भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ही आदेश दिनांक 09.11.2020 को पारित किया गया है, जो कि पूर्णतया सही एवं उचित है। ग्राम पंचायत पांसल के द्वारा पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार 2700 वर्गफीट से बाहर जाकर 1,03,840 वर्गफीट का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की अनदेखी करतें हुये बिना कब्जेशुदा निवासरत गढ़ के अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि का भी जारी कर दिया गया, जबकि आवेदन केवल निर्मित गढ़ का पट्टा प्राप्त करने हेतु ही प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टे को चुनौती दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि उक्त दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। जबकि प्रार्थीगण के पास उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मालिकाना हक होने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज नही हैं।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अवाप्तशुदा भूमि गैर मुमकिन आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत ने मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना क्लेम प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना की गई है वह असत्य एवं गलत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

35–

प्रार्थीगण एवं विपक्षी एनएचएआई के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने प्रार्थनापत्र एवं जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने अपने कथनों के समर्थन में अपनी बहस की, जिसे ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अध्ययन एवं मनन किया गया। हमारे विनम्र मतानुसार –

प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बंध में धारा 3–जी (5) के तहत प्रार्थना पत्र केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि किसी पक्षकार को स्वीकार नही हो। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) (5) के सुसंगत (Relevant) प्रावधान निम्नानुसार है–

3G- Determination of amount payable as compensation- (5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-(2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

उपरोक्त प्रावधानानुसार स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाधारित राशि प्रार्थीगण को स्वीकार नही होने पर ही 3 (जी) (5) के प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की जा सकती है। परंतु प्रकरण में प्रार्थीगण के हित में कोई राशि अवधारित ही नहीं की गई है अर्थात कोई भी मुआवजा राशि का अवार्ड प्रार्थीगण के हित में पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थनापत्र प्रचलीत विधिक प्रावधानों के तहत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की ओर से ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 07–12–2020 एवं 04–12–2020 अन्तर्गत धारा–3–जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतएव–

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07–12–2020 एवं 04–12–2020 अन्तर्गत धारा 3–जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को उपरोक्त विवेचन अनुसार खारीज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन) भीलवाडा द्वारा पारित अवार्ड कमांक/प्रतिकर निर्धारण/179/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन) भीलवाडा को प्रेषित किया जावे। निर्णय की एक अतिरिक्त प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 64/2020 के साथ भी सलग्न रहें।

निर्णय आज दिनांक13 .08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जसमीत सिंह संधू
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा